तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.02.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रैस्पो0 का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के दो आदेश दिनांक 28.08.2022 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने एक ही अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है। जबकि दो आदेशो के विरूद्ध एक अपील मैन्टेविल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट के अन्तर्गत न्यायालय हाजा को होती एवं आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 39 नियम 7 जा0दी0 के आदेश के विरूद्ध अपील ना होकर निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में होती। वैसे भी दो आदेशो के विरूद्ध एक अपील ना होकर दो अलग–अलग अपील होती हैं। इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलाण्ट मैन्टेनेविल ना होने के कारण इसी स्तर पर खारिज फरमायी जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर 2021(1) आरआरटी पेज 628, 2021(2) आरआरटी पेज 997, 2020(1) आरआरटी पेज 198, 2020(2)आरआरटी पेज 819 का उद्धरण पेश किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में 26 नियम 9 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। रैस्पो0 ने इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। अतः रैस्पो0 की आपत्ति सारहीन है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2022 से दो निर्णय पारित किये हैं। प्रथम आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत एवं द्वितीय आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश 39 नियम 7 जा0दी0 के तहत पारित किया है। अपीलाण्ट ने उक्त दोनों आदेशो के विरूद्ध न्यायालय हाजा में एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने गौर किया एवं रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सःसम्मान अध्ययन किया। यह विधिक आक्षेप है जिसे विचार कर प्रथमतः निस्तारित किया जाना है। इसके निस्तारण उपरांत अपेक्षित होने पर गुणावगुण पर विचार की स्थिति आयेगी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के दो निर्णयो के विरूद्ध हस्तगत एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि विधि अनुसार दो निर्णयो के विरूद्ध एक अपील पोषणीय नहीं रहती है। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण चस्पा होती हैं। लिहाजा अभिभाषक रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र बावत् प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र, प्राथमिक आपत्ति स्वीकार किया	

जाकर, अपील अपीलाण्ट पोषणीय ना होने के कारण, इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर